हिंदी साहित्य एवं मानवीय मूल्य

संपादक

डॉ. गणेशचंद्र शिंदे
डॉ. संदीप एस. पाईकराव
डॉ. साईनाथ ग. शाहू

Principal
Tuljaram Chaturchand College
Baramati

TULJARAM CHATURCHAND COLLEGE * BARAMATI

भाईचारे से भरे क्षेत्र में बदलना है। अतः समाज में मानवीय मूल्यों के बीज अंकुरित करने की पुनश्च आवश्यकता निर्माण हो गई है। विशेष रूप से युवाओं में सजगता निर्माण करना अनिवार्य बनता जा रहा है। एक स्वस्थ समाज तथा स्वस्थ जीवन जीने के लिए जीवन मूल्यों की नितांत आवश्यकता है। इसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए प्राचीन काल से लेकर आज तक निर्माण किया गया साहित्य तथा साहित्य की विभिन्न विधाओं के द्वारा समाज में मानवीय मूल्यों का निरंतर पोषण किया गया है।

मूल्य विघटन वर्तमान समय की सबसे बड़ी त्रासदी है। इस त्रासदी से उबरने के लिए मानवीय मूल्यों की प्रतिष्ठा एकमात्र उपाय है। प्रस्तुत पुस्तक का निर्माण इस दिशा में एक लघु प्रयास है। प्रस्तुत पुस्तक सुविज्ञ प्रबुद्ध तथा जिज्ञासु पाठकों को समर्पित है इस आशा सहित कि मानवीय मूल्यों की प्रतिष्ठा में हमारे इस लघु प्रयास की यात्रा में हमसफर बनें। हमें अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि इस पुस्तक के निर्माण में भिन्न-भिन्न राज्यों के विद्वानों ने अपनी भावना तथा विचारों को प्रकट कर योगदान दिया है। इस ग्रंथ की खास बात यह है कि योगदान कर्ताओं द्वारा शीर्षक पर बहुआयामी दृष्टिकोण से चर्चा की गई है। हम इस ग्रंथ के समस्त लेखकों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं जिनके परिश्रम एवं ज्ञान राशि के फलस्वरूप प्रस्तुत ग्रंथ साकार हो सका।

इस ग्रंथ के निर्माण में हमारे प्रेरणा स्रोत भूतपूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य तथा श्री शारदा भवन एज्युकेशन सोसाइटी के अध्यक्ष माननीय श्री अशोकराव जी चव्हाण, उपाध्यक्ष सौ. अमिताताई चव्हाण, भूतपूर्व शिक्षा राज्य मंत्री तथा शारदा भवन एज्युकेशन सोसाइटी के माननीय सचिव आदरणीय डी. पी. सावंत जी, सह सचिव आदरणीय उदयरावजी निंबाळकर, कोषाध्यक्ष आदरणीय डॉ. रावसाहेब शेंदारकर तथा कार्यकारिणी सदस्य आदरणीय नरेंद्र दादा चव्हाण आदि के प्रति हम कृतज्ञ हैं।

हमें अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि परिकल्पना प्रकाशन नई दिल्ली ने हमारे चिंतन को सामने लाया है। इसके लिए प्रकाशक डॉ. शिवानंद तिवारी जी का धन्यवाद जिनके परिश्रम से ही इस ग्रंथ का निर्माण संभव हो पाया। साथ ही हम अपने उन समस्त शुभचिंतकों एवं सहयोगियों के प्रति कृतज्ञ हैं जिन्होंने इस पुस्तक के निर्माण में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से योगदान दिया है।

–संपादक

अनुक्रम

संपादकीय	*5*
1. साहित्य और मानवीय मूल्य *–प्रो. डॉ. प्रतिभा जी. येरेकार*	15
2. श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में निहित मानव-मूल्य *–डॉ. परविंदरकौर महाजन कोल्हापूरे*	19
3. मृदुला सिन्हा के कथा साहित्य में मानव मूल्य *–डॉ. मनीषा शर्मा*	24
4. साहित्य एवं मानवीय मूल्य *–डॉ सुभाष क्षीरसागर*	30
5. मूल्य, जीवन मूल्य और साहित्य *–प्रा. डॉ. मनोहर गंगाधरराव चपळे*	34
6. साहित्य में मानवीय मूल्य *–डॉ. शेख शहेनाज बेगम अहेमद*	38
7. हिंदी साहित्य में मानवीय मूल्य *–डॉ. शेखर घुंगरवार*	45
8. मानवीय मूल्य नैतिकता : उत्पत्ति और विकास *–डॉ. संतरा चौहान*	51
9. साहित्य एवं मानवीय मूल्य *–डॉ. किशोरसिंह सोलंकी*	54
10. पत्रकारिता और मानवीय मूल्यों की उपेक्षा *–डॉ. बेंद्रे बसवेश्वर नागोराव*	57
11. भक्ति साहित्य तथा मानवीय मूल्य *–डॉ. अमर आनंद आलदे*	61
12. भक्तिकालीन साहित्य में मानवीय मूल्य *–अर्जुन कुमार*	[illegible]
13. आंबेडकरवादी कविताओं में संवैधानिक मानवीय मूल्य *–डॉ. रगडे परसराम रामजी*	69
14. समकालीन कवि धूमिल के काव्य में मानवीय मूल्य *–डॉ. मुकुंद कवडे*	75

TULJARAM CHATURCHAND COLLEGE * BARAMATI

Principal
Tuljaram Chaturchand College
Baramati

79. उदय प्रकाश की कहानियों में अभिव्यक्त मानवीय मूल्य 366
—डॉ. प्रकाश भगवानराव शिंदे
80. आधुनिक कविता में मूल्यबोध 371
—डॉ. प्रणिता लक्ष्मणराव पाटील
81. प्रेमचंद के साहित्य में मानवीय मूल्य 376
—डॉ. दीपक विनायक पवार
82. मन्नू भंडारी के उपन्यासों में मानवीय मूल्य 381
—डॉ. शरद शेषराव कदम
83. गांधीजी की पुस्तक 'हिंद स्वराज' में मानवीय मूल्य 388
—डॉ. रजिया शहेनाज शेख अब्दुल्ला
84. साहित्य में मानवीय मूल्यबोध 393
—प्रो. डॉ. लक्ष्मण तुळशीराम काळे
85. भारतीय संविधान तथा मूल्य 398
—डॉ. प्रतिभा आनंदराव जावळे
86. संविधान तथा मानवीय मूल्य 403
—प्रा. व्ही.डी.कापावार/डॉ. माधव शंकर
87. मध्यकालीन संत काव्य में मानवीय मूल्य 405
—प्रा. डॉ. भालेराव संजय गणपती
88. गीतांजलि श्री के उपन्यासों में चित्रित नारी मूल्य 409
—प्रा. विद्या बाबू राव खाडे
89. हिंदी कहानियों में मानवीय मूल्य 412
—डॉ. खंदारे चंदू
90. किन्नर-जीवन पर आधारित कहानियों में मानवीय मूल्य 415
—उपार्जन के. परमार
91. भक्ति साहित्य तथा मानवीय मूल्य 420
—डॉ. रत्नमाला धारबा धुळे
92. मानवीय मूल्य और भूमंडलीकरण के संदर्भ में गांधी 424
—डॉ. सचिन मदन जाधव
93. केशीराम के साहित्य में मानवीय मूल्य 428
—डॉ. फहीम जलाल खान
94. रामराज्य की संकल्पना और मानवीय मूल्य 433
—प्रा. डॉ. संगीता तोमटे
95. समकालीन हिंदी कविता और मूल्य बोध की परिकल्पना 438
—डॉ. सुमित पी.वी.
96. समकालीन यात्रा-साहित्य में मानवीय मूल्य 442
—प्रो. बालेश्वर राम
97. स्कन्दगुप्त नाटक में सामाजिक चेतना 451
—प्रा. डॉ. पी. एम. भूमरे
98. मानवीय समता का विधायक संत साहित्य 458
—प्रा. डॉ. राहुल पुंडलिकराव वायमारे
99. हिंदी और मराठी दलित कविता में मानवीय मूल्य 461
—प्रा. डॉ. प्रकाश सदाशिव सूर्यवंशी
100. मानवीय मूल्यों का प्रतीक : मरु-केसरी दुर्गादास राठोड 464
—डॉ. गजानन सुखदेव चव्हाण/डॉ. साईनाथ ग. शाहू
101. कबीर के काव्य में नैतिक मूल्य 469
—प्रा.डॉ. अभिमन्यु नरसिंगराव पाटील
102. संत कबीर और तुकाराम के साहित्य में मानवीय मूल्य 474
—डॉ. नवनाथ गाडेकर
103. मंजुल भगत की कहानियों में मानवीय मूल्य 479
—डॉ. सगीना मसारे
104. समकालीन उपन्यासों में मानव-मूल्य 483
—डॉ. राजेंद्र कुमार
105. मानवीय मूल्यों के संवाहक : संत रहीम 487
—प्रा. डॉ. कदम भगवान रामकिशन
106. 'सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक' में मानव मूल्य 491
—डॉ. संध्या ठाकुर
107. सूर के काव्य में जीवन मूल्य 495
—डॉ. वसंत पुंजाजी गाडे
108. भक्तिकालीन साहित्य में मानवीय मूल्य 501
—प्रा. सुपर्णा गंगाधर संसुद्धी
109. संत कबीर के काव्य में मानवीय मूल्य 505
—डॉ. विनोद कुमार
110. जीवन मूल्यों के परिप्रेक्ष्य में डॉ. रामकुमार वर्मा की एकांकियाँ 509
—डॉ. सुजितसिंह. शि. परिहार

TULJARAM CHATURCHAND COLLEGE ★ BARAMATI

Principal
Tuljaram Chaturchand College
Baramati

भारतीय संविधान तथा मूल्य

डॉ. प्रतिभा आनंदराव जावळे
हिंदी विभाग
तुळजाराम चतुरचंद महाविद्यालय, बारामती

भारत एक धार्मिक सांस्कृतिक और परंपरागत देश है स इस देश में अलग जाती धर्म वंश के लोग रहते है। विविधताओं में एकता के सूत्र में इसे बांधा है। यह सिर्फ संविधान के कारण संभव हो गया है। राष्ट्रनिर्माण के अग्रदूत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ने हमारी भूमि के लिए संविधान में वास्तविक मूल्य और महत्व को चित्रित किया है। यह वह संरचना है, जिस पर एक राष्ट्र खड़ा होता है और बढ़ता है। यह वह ढांचा है जो लोगों और सरकार को एक साथ बांधता है। डॉ. आंबेडकर के विचार से, ''संविधान केवल वकीलों का दस्तावेज नहीं है, यह जीवन का वाहन है और इसकी भावना हमेशा युग की भावना है।'' मानवीय अधिकार का दस्तावेज ही संविधान है। 'लोगों' को भारतीय संविधान के मूल रूप में रखा गया है, क्योंकि प्रस्तावना ही, ''हम भारत के लोगों से शुरू होती है।'' भारत का संविधान एक आदर्श संविधान से पहचाना जाता है। हमारे इस संविधान में निहित कुछ मूल्य है जो इसे वास्तव में अद्वितीय बनाते है। आज संविधान में निहित मूल्यों को समझना और उनका सम्मान करना आवश्यक है।

प्रत्येक देश का संविधान देश को संचालित करने के लिए मूल्य आधारित व्यवस्था बनाता है। भारतीय संविधान की विशेपता का अध्ययन करने के बाद अध्ययन क्रम में मौलिक अधिकारों और मौलिक कर्तव्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। कौन से मौलिक अधिकार और कितने मौलिक कर्तव्य है यह जानना भी जरूरी है। भारतीय संविधान द्वारा मूल अधिकारों की व्यवस्था करने के पीछे संविधान निर्माताओं की धारणा थी कि स्वतंत्र देश के नागरिक के रूप में भारतवासी अपना जीवनयापन कर सकें। इससे भी महत्वपूर्ण बात है कि मूलअधिकार के उल्लंघन होने पर अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में जाना भी मूल अधिकार है। इसीलिए डॉ. आंबेडकर ने इस अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है।

संविधान द्वारा मूल रूप से सात मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं। समानता, अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोपण के विरुद्ध अधिकार, धर्म संस्कृति एवं शिक्षा की स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार तथा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ''अधिकार सामाजिक जीवन की परिस्थितियाँ है जिनके अभाव में कोई

व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता।'' मनुष्य के [illegible]ीवनयापन करते समग्र मूल्योंका समझना भी जरूरी है।

मूल्य समाज द्वारा स्वीकृति होते है, मूल्य शब्द से तात्पर्य कि [illegible] भौतिक वस्तु अथवा मानसिक अवस्था के उस गुण से है जिनके द्वारा मनुष्य [illegible] उद्देश्य अथवा लक्ष्य की पूर्ति होती है। मूल्यों का व्यक्ति आचरण, व्यक्तित्व [illegible] पर स्पष्ट प्रभाव पड़ता है। मूल्य वह है जो मानव इच्छा को पूरा करते है। मा[illegible] का जन्म ही संविधान की विशेषताएं है। भारतीय संविधान की प्रस्[illegible] ''सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, [illegible] उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए त[illegible] सब में व्यक्ति गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता बंधुता।''[1] आदि मूल्यों के प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है। मनुष्य जीवनयापन करते समय इन मूल्यों के [illegible] व्यवहार और कर्तव्य में दक्ष रहना ही देश के लिए हितकारक होगा। संविधान जीन[illegible] कैसे सिखाता है। इसकी प्रस्तावना की सबसे महत्वपूर्ण बात देश के समस्त नागरिकों के लिए न्याय एव समानता सुनिश्चित किए जाने का आश्वासन है, क्योंकि एक सच्चे लोकतंत्र के लिए समानता ही नहीं वरन न्याय की सुनिश्चितता भी आवश्यक है। इसी को ध्यान में रखते हुए ना केवल धर्म, लिंग जाति, इत्यादि के आधार पर राज्य द्वारा भेदभाव का निपेध करते हुए प्रतिष्ठा और अवसर की समता का उपलब्ध किया गया, बल्कि इसके साथ-साथ पिछड़ों और कमजोर वर्ग के लोगों का उत्थान करने के लिए विशेप प्रावधान करने की उपलब्ध भी किया गया, ''सामाजिक न्याय में धर्म और अवसर, नस्ल, धर्म, लिंग और जातिया अन्य किसी भी असमानता सहित सभी प्रकार की असमानताओं का उन्मूलन अपेक्षित है।''[2] इसी बात को ध्यान में रखते हुए कार्य भी मानवीय स्थितियों, मातृत्व सुविधा, सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्वतंत्रता एवं उद्योगों में बालश्रम का निवारण, निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा, पिछड़ी जातियों का शैक्षिक और आर्थिक उत्थान, बंधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध सहित सामाजिक न्याय से सम्बंधित कल्याणकारी कार्यक्रमों को प्रवृत्त करने का निदेश संविधान में आत्मनिहित है। आर्थिक न्याय के विचारों में समान कार्य के लिए समान वेतन का भाव निहित है। राजनीतिक न्याय से भेदभाव रहित राजनीतिक कार्यक्षेत्र अभिप्रेत है। वयस्कमताधिकार, ''सांप्रदायिक आरक्षण के उन्मूलन और नस्ल, जाति, लिंग, निवास, जन्मस्थान, धर्म, भेदभाव के बिना राज्योंके अधीन नियोजन प्राप्त करने के अधिकार को अंगीकारकर इसे संविधान में सुनिश्चित किया गया है।''[3] भारत का संविधान सबसे बड़ा संविधान है। इसमें अनेक प्रकार के संवैधानिक मूल्य है, उनमें से प्रमुख मूल्यों में प्रमुख लोकतंत्र, समाजवाद और समानता प्रमुख मूल्य है।

संविधान की प्रस्तावना में एक और मूल्य 'बंधुत्व' है। जो भारत की जनता के बीच आपसी भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध है। बंधुत्व के

TULJARAM CHATURCHAND COLLEGE BARAMATI
Principal
Tuljaram Chaturchand College
Baramati

अभाव में भार[illegible] एक बहुजन समाज में विभाजित हो जाता है। भारत की प्रतिज्ञा में लिखा है सभी [illegible]रतीय मेरे भाई बहन है।

संविधा[illegible] में प्रमुखता लोकतंत्र, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और नागरिकों के अधिकारों [illegible] कर्तव्यों से संबंधित मूल्यों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है।

1. [illegible]तंत्रता : स्वतंत्रता एक ऐसी अवस्था को स्थापित करती है। जिससे मनुष्य का पूर्ण[illegible] विकास हो सकता है। भारतीय संविधान में नागरिकों को समान रूप से स्वतं[illegible]ता दी गई है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास धर्म और उपासना की स्वाधीनता सु[illegible]श्चित की है। भारतीय संविधान में स्वतंत्रताओं का विस्तृत वर्णन किया गया है। [illegible]नुच्छेद (19-22) में स्वतंत्रता के अधिकार की व्यापक व्याख्या की गई है। स्वतंत्रता का यह मूल्य मनुष्य के लिए महत्वपूर्ण है।

2. **न्याय** : सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय स्थापित करना ही हमारे संविधान का उद्देश्य है। सामाजिक न्याय से हमारा तात्पर्य है कि समाज में असमानताओ को दूर किया जाए तथा सामाजिक समानता स्थापित की जाए, "अनुच्छेद 226, 300 तक 325, 326 के आदि में मानव अधिकारों के संरक्षण से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 303 तथा अनुच्छेद 327 में कानून के संदर्भ में नियम बनाए हैं। राज्य के सभी नागरिकों के कल्याण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ही ऐसी सामाजिक व्यवस्था का यथासंभव रक्षण संरक्षण करेगा, जिस में राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं में नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिले।"[4]

3. **प्रजातंत्र** : भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लोकतांत्रिक शब्द है- लोकतांत्रिक शब्द का अर्थ है कि संविधान की स्थापना एक सरकार के रूप में होती है। जिसे चुनाव के माध्यम से लोगों द्वारा निर्वाचित होकर अधिकार प्राप्त होते हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है,जिसका कार्य है कि सर्वोच्च लोगों के हाथ में है। लोकतंत्र शब्द का प्रयोग राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र के लिए प्रस्तावना के रूप में प्रयोग किया जाता है।

4. **समानता** : समानता का अभिप्राय समाज में किसी वर्ग के खिलाफ विशेषाधिकार या भेदभाव समाप्त करने से है। संविधान की प्रस्तावना में देश के सभी लोगों के लिए स्थिति और अवसरों की समानता प्रदान करती है। संविधान देश में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता प्रदान करने का प्रयास करता हैग्र अनुच्छेद 14 के अनुसार, "राज्य भारत के राज्यक्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा।" विधि के समान संरक्षण से अर्थ है, समाज लोगों के साथ समान व्यवहार होगा, "दूसरे शब्दों में विधि द्वारा आदिदायित्व के संबंध में समान परिस्थितियों में समान व्यवहार का अधिकार है।"[5]

5. **धर्मनिरपेक्षता** : भारत देश अनेक धर्म तथा जाति के लोगों से बना है। एक धर्मनिरपेक्ष देश के रूप में यह पहचाना जाता है। धर्मनिरपेक्षता का आदर्श धर्म को

व्यक्ति के आंतरिक विश्वास की वस्तु मानता है। संविधान में यह व्यवस्था कि गई है, की सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य तथा इस भाग के दूसरे उपबंधो के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को स्वतंत्रता से किसी भी धर्म का पालन करने, प्रचार एवं प्रसार करने का अधिकार होगा। डॉ. राधाकृष्णन ने भारतीय राज्य के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए कहा कि, "भारतीय राज्यनेता किसी धर्म द्वारा नियंत्रित होगा और ना किसी धर्म विशेष से संबंधित होग। हम किसी एक धर्म को वरीयता का स्थान या अद्वितीय स्तर प्रदान करना नहीं चाहते। धर्मों को समान भाव का दृष्टिकोण संविधान ने दिया है। संविधान के अधिकारों का पालन करना और उसके आदर्शोपर चलना हर नागरिक मूल कर्तव्य है। सविधान के मूल कर्तव्यो में उल्लेख है कि हर नागरिक देश की रक्षा करें राष्ट्र सेवा करें भेदभाव दूर करें, स्त्रियों के सम्मान के खिलाफ होने वाली हर प्रथा का त्याग करे। सभी को अपना धर्म मानने का अधिकार है, और संविधान यह भी कहता है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानवता वाद भावना का विकास करना भी नागरिकों का मूल कर्तव्य है। हमें यह मानना होगा कि सांप्रदायिकता का क्षरण आर्थिक सामाजिक गैर बराबरी का खात्मा और मानवीय विकास की प्रक्रिया का सहज होना, तभी संभव है जब मूल्य आधारित समाज व्यवस्था में हम विश्वास रखेंगे और सरकार उसके मुताबिक नीतियां बनाएगी। अन्यथा बेहतर समाज कभी नहीं बन पाएगा। आज हम भारतवासियों को अभिमान है की भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जी ने भारतीय संविधान जैसा एक महान ग्रंथ हमें दिया है और इस देश का सम्मान बढ़ाया। स्वतंत्रता और समानता पर आधारित भारतीय सविधान बनाया गया है। विशेषकर महिलाओं के लिए बनाए गये है। इस बात की जानकारी महिलाओं को अवश्य होनी चाहिए। महिला अपने अधिकारों एंव कर्तव्यो के प्रति सजग और आत्मनिर्भर है, तो वह संविधान के कारण ही। इसका ज्ञान महिलाओं को होना जरूरी है। इसके साथ ही पिछड़े वर्गो को आरक्षण एवं अन्य सुविधाएं देने का अधिकार केवल विधायक तथा राज्य सरकार को संविधान में प्रदान किया गया है। इस प्रकार संविधान में निहित मूल्यों का पालन करना और उसके आदर्शों पर चलना हर नागरिक का मूल कर्तव्य है। हम सब मिलकर मानवीय विकास प्रक्रिया में सहयोग दे। यह तभी संभव होगा जब हम मूल्य आधारित समाज व्यवस्था में विश्वास रखेंगे। संविधान हमारा गौरव है, अभिमान है। अंत में सिर्फ इतना ही कहूंगी संविधान ही इस देश को चलाता है।"

संविधान ही बुराई को डराता है,
संविधान सबको समान अधिकार देता है,
संविधान सबको समान प्यार देता है

Principal
Tuljaram Chaturchand College
Baramati

ISSN 2321 - 9300
वर्ष : 10 अंक 108 दिसंबर 2022

हिंदी मासिक

बयान

साहित्य, संस्कृति तथा सामाजिक सरोकारों के लिए प्रतिबद्ध

सहयोग 50 रु.

TULJARAM CHATURCHAND COLLEGE BARAMATI

Principal
Tuljaram Chaturchand College
Baramati

बयान

साहित्य, संस्कृति तथा सामाजिक सरोकारों के लिए प्रतिबद्ध हिंदी मासिक

दिसम्बर 2022

संपादक
मोहनदास नैमिशराय

सहायक संपादक
रूपचन्द गौतम

संपादकीय सलाहकार
डॉ. जे.आर. सोनी/शेखर/साक्षी गौतम/ सतीश खनगवाल

प्रादेशिक प्रतिनिधि
ब्रजेन्द्र गौतम, इलाहाबाद, डॉ. रामविलास भारती, गोरखपुर, गोरख बनसोड़े सातारा, बुद्धशरण हंस पटना, हरीश मंगलम अहमदाबाद,

संपादकीय एवं व्यवस्थापकीय कार्यालय
बी.जी. 5ए/30-बी, पश्चिम विहार, नई दिल्ली, 110063
मोबाइल : 8860074922

प्रकाशक मुद्रक व स्वामी मोहनदास नैमिशराय द्वारा एम्सपो प्रिन्ट एंड मीडिया, 97/12, सुंदर पैलेस, ज्वाला हेडी, पश्चिम विहार, नई दिल्ली 110063 से मुद्रित

बी.जी. 5ए/30बी, पश्चिम विहार, नई दिल्ली-110063 से प्रकाशित किया।

प्रकाशित रचनाओं के विचारों से संपादक का सहमत होना जरूरी नहीं है।

बयान से संबन्धित सभी विवादस्पद मामले दिल्ली न्यायालय के अधीन होंगे।

बयान पत्रिका से जुड़े सभी साथी अवैतनिक हैं।

अनुक्रम

संपादकीय

साहित्य/ संस्कृति/धर्म और राजनीति की यात्रा 4

नारी अस्मिता और डॉ. बाबा साहेब आंबेडकर (डॉ. बाबा साहेब आंबेडकर महापरिनिर्वाण दिवस : विनम्र अभिवादन) / *डॉ. अलका नारायण गडकरी* 5

जातिवाद, पाखंड और अंधविश्वास मुक्त भारत के लिए जरूरी है वैज्ञानिक दृष्टिकोण / *प्रो. (डॉ.) के. पी. यादव* 6

6 नवम्बर 1951 को पटना के गांधी मैदान में बाबासाहेब आंबेडकर का भाषण / *ड. राजेन्द्र प्रसाद* 7

बाबा साहेब महापरिनिर्वाण साहित्य के आइने में / *डॉ. जी.सी. भारद्वाज* 10

मा. मल्लिकार्जुन खरगे जी : सच्चा आंबेडकरवादी कार्यकर्ता / *प्रो. एच. टी. पोते* 11

पश्चिम से आई प्रथम दो अम्बेडकरवादी महिलाओं—एलेनॉर ज़ेलियट और गेल ऑमवेट को भावपूर्ण श्रद्धांजलि / *दिनेश आनंद* 14

डॉ. बाबा साहेब आंबेडकर - महिला सशक्तिकरण / *डॉ. प्रतिभा आनंदराव जाधव* 21

वर्तमान समय में बहुजन आन्दोलन में महिलाओं की स्थिति / *रेखा भारती (एडवोकेट)* 23

स्वर कोकिला लता मंगेशकर के सामाजिक और राजनैतिक सरोकार / *प्रमोद रंजन* 25

रजनी के बाद आन्दोलन की स्थिति / *पुष्पा विवेक* 29

बिहार में दलितों के प्रति पिछड़ा वर्ग के विरोध-अंतर्विरोध की एक पड़ताल / *डा. मुसाफ़िर बैठा* 32

आदिवासी संस्कृति और आंदोलन के प्रहरी वहारु सोनवणे / *प्रो. डॉ. गोरख निंबोबा बनसोडे* 38

सुषमा असुर की कविताएं / *डॉ चांदणी लक्ष्मण पंचांगे* 41

हिंदी साहित्य में चित्रित दलित आदिवासी विमर्श / *डॉ. बाजीराव राजाराम शेलार* 43

गुजराती दलित साहित्य : उद्भव एवं विकास / *हरीश मंगलम* 45

"राजनैतिक परिवर्तन से पहले सामाजिक परिवर्तन आवश्यक है और सामाजिक परिवर्तन पहले व्यक्ति के खुद के परिवर्तन से शुरू होता है"/ *दिनेश आनन्द* 54

अच्छी फसल जब होती थी तभी भरपेट खाना मिलता था वरना भूखा ही सोया करता था / *डॉ. जे.आर. सोनी* 58

वरिष्ठ नेता विश्वजीत बोडो जी से मेरी एक बातचीत / *अनूप प्रसाद* 60

जाति : हमारे असन्तोष की उत्पत्ति / *डॉ. बृजेन्द्र गौतम* 61

हाशिये के साहित्य का संग्रहणीय दस्तावेजी अंक / *अरुण नारायण* 62

"हमने भी इतिहास बनाया" / *रेखा भारती (एडवोकेट)* 64

अपने कार्य से जवाब देना हमने सीखा 65

कर्तव्य एवं निष्ठा का बयान, साहित्य और संस्कृति का बयान / *साक्षी गौतम* 66

परिचर्चा सामग्री और कविताएँ

TULJARAM CHATURCHAND COLLEGE BARAMATI

Principal
Tuljaram Chaturchand College
Baramati

डॉ. बाबा साहेब आंबेडकर - महिला सशक्तिकरण

डॉ. प्रतिभा आनंदराव जावळे

हिंदी विभाग, तुळजाराम चतुरचंद महाविद्यालय, बारामती, पुणे

भारतीय संविधान एक आदर्श संविधान है। संविधान निर्माता डॉ. बाबा साहेब आंबेडकर ने भारत के हर नागरिकों को इंसान की तरह सम्मानपूर्वक जीने का अधिकार प्रदान किया है। १९४६ में उन्हें संविधान मसौदा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वे स्वतंत्र भारत के पहले कानून और न्यायमंत्री थे। भारत के संविधान के अनुसार भारत एक गणराज्य देश है, जिसे संविधान सभा द्वारा २६ नवंबर १९४९ को ग्रहण किया गया तथा २६ जनवरी १९५० को पारित किया गया। भारतीय संविधान, यानी विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का धर्मग्रंथ - इसी किताब से भारतीय लोकतंत्र संचालित होता है। लोकतंत्र में प्रत्येक मनुष्य को आनन्दपूर्वक जीवनयापन करने की स्वतंत्रता है। "मनुष्य को कुछ अधिकार तो प्रकृति ने दे रखे है, एवं कुछ अधिकार देश के संविधान से मिले हुए है, जिनका उपयोग कर मनुष्य अपना सर्वांगीण विकास कर सकता है, वही मानव अधिकार कहलाते है।"1 मनुष्य का विकास होता है तो समाज विकसित होगा और समाज का विकास ही देश को उन्नति के पथपर ले जाएगा। "मानव अधिकार मस्तिष्क की अभिवृद्धि है जो मानव और उसकी शक्तियों मामलों लौकिक आकांक्षाओं तथा उसकी भलाई को प्राथमिक महत्त्व प्रदान करती है।"2 भारतीय संविधान ने भारत के हर नागरिकों को इंसान की तरह सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार प्रदान किया है। लेकिन आधी आबादी स्त्री और दलित इस अधिकार से वंचित है। इसके लिए शिक्षा को प्राधान्यता दी है। एक नारी शिक्षित हो जाती है तो दो परिवार शिक्षित होते है। इसलिए नारी शिक्षा को प्रधानता दी है। शिक्षित स्त्री आज अपने स्वत्व को पहचान कर शोषकों के विरुद्ध आवाज उठाने लगी है। भारत में महिलाओं को संवैधानिक तथा कानूनी सुरक्षा प्रदान करने के लिए जनवरी १९९२ में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई। साथ ही ग्रामीण महिलाओं के कल्याण के लिए भी हर राज्य में महिला आयोग की शाखा का गठन किया गया। यह आयोग संवैधानिक संस्था एवं महिलाओं के अधिकारों प्रति सजग है।

डॉ. बाबा साहेब आंबेडकर सिर्फ दलितों के नेता नहीं थे। उनका कार्य सर्वव्यापक है। महिलाओं के लिए उनका योगदान अमूल्य है। उन्हें समानता का अधिकार दिलाने के लिए पूरी हिन्दू व्यवस्था से लंबी लड़ाई लड़ी, इतना ही नहीं उन्होंने महिलाओं को मनुवादी सोच से निकाला। डॉ. बाबा साहेब आंबेडकर कहते है "मैं किसी समाज की तरक्की इस बात से देखता हूँ कि वहाँ महिलाओं ने कितनी तरक्की की हैं।" हिन्दू कोड बिल की मांग को महिलाएं कैसे भूल सकती हैं, जिसके विरोध के कारण बाबा साहेब मंत्रिपद को त्याग देते है। महिलाओं के कल्याण के लिए अनेक प्रस्ताव रखे थे। इतना ही नहीं आर्टिकल 14 - 15 में महिलाओं को समाज में समान अधिकार देने का प्रस्ताव भी किया गया, साथ ही महिलाओं के शोषण के विरुद्ध संविधान में सख्त कानून बनाया, अनेक कल्याणकारी योजनाएँ बनाई। डॉ बाबा साहेब आंबेडकर का कार्य संक्षिप्त शब्दों में नही लिखा जा सकता जैसे की हम सागर की गहराई को नाप नहीं सकते उसी प्रकार डॉ. बाबा साहेब आंबेडकर के कार्य को नापा नहीं जा सकता।

संदर्भ -

1. भारत में मानव अधिकार–डॉ. महेंद्र कुमार मिश्रा, पृष्ठ ।
2. वही, पृष्ठ ।

Principal
Tuljaram Chaturchand College
Baramati